

# प्रेस नोट

10.02.2021

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान  
के क्रम में—

चोरी की योजना बना रहे तीन शातिर गिरफ्तार, कब्जे से दो अदद अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस, चाकू  
व मोटरसाइकिल बरामद—

आज दिनांक 10.02.2021 को सायंकाल थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुंगेसर नकटा चट्टी के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से दो अवैध तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू तथा एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स यूपी 54 एफ 4166 बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में कमश भूअर उर्फ रविन्द्र पुत्र पतिराम निवासी मुगेशर थाना घोसी के कब्जे से एक अवैध तमंचा डबल बैरल मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, गोलू उर्फ पंकज पुत्र रामभवन निवासी सिकरौर थाना घोसी के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, निहाल उर्फ अमरनाथ पुत्र संजय निवासी मुगेशर थाना घोसी के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु030सं0 85/21 धारा 401 भादवि० का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद तमंचा व चाकू के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु030सं0 86,87,88/21 धारा 3/4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मोटरसाइकिल को अन्तर्गत एमवी एक्ट सीज किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

1. भूअर उर्फ रविन्द्र पुत्र पतिराम निवासी मुगेशर थाना घोसी जनपद मऊ।
2. गोलू उर्फ पंकज पुत्र रामभवन निवासी सिकरौर थाना घोसी जनपद मऊ।
3. निहाल उर्फ अमरनाथ पुत्र संजय निवासी मुगेशर थाना घोसी जनपद मऊ।

**बरामदगी—**

1. दो अदद अवैध तमंचा मय दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. एक अवैध चाकू।
3. एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स यूपी 54 एफ 4166।

**धमकी देने मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद—**

आज दिनांक 10.02.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रोडवेज बस स्टैंड के पास से धमकी देने मामले में पंजीकृत मु030सं0 65/21 धारा 386 भादवि० में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त रमेश यादव पुत्र सतीराम निवासी ताजोपुर गोहठा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.02.2021 को थाना स्थानीय पर वादी डा० मोहम्मद आसिम नोमानी पुत्र श्री अफजल इस्लाम निवासी हट्टीमदारी थाना कोतवाली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 08.02.2021 को एक व्यक्ति द्वारा काल करने से रंगदारी मारी जा रही है न देने पर जान से मारने की धमकी

मकी दे रहा है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुआओसं 65/21 धारा 386 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही थी।

## 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 10.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा इब्राहिमाबाद के पास से मुआओसं 39/21 धारा 363,366 भादवी में वांछित अभियुक्त रामशुक्ल यादव पुत्र स्व0 नन्दा यादव निवासी औलियापुर थाना घोसी, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा डगौली के पास से मुआओसं 17/21 धारा 363,366 भादवी व 3/4 पोक्सों एकट में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र धनेश्वर राम निवासी कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

## शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 10.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा गोरख, बेचन निवासीगण मो0बाद सिपाह थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा वृजेश निवासी पिउवाताल थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अमन, रवि निवासीगण दक्षिणटोला थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा रामनाथ, जयकरन निवासीगण गुलौरी खुर्द, उमेश, राजनरायण, भीख्वी, निवासीगण भेडखुल सुल्तानपुर थाना मधुबन, राकेश निवासी कपरिया मलिक थाना घोसी, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विजय कुमार निवासी खालिसपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्त थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा बहादुर पुत्र राजपति निवासी मीरपुर थाना हलधरपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अमन उर्फ इश्वर दयाल पुत्र राणाप्रताप निवासीगण कोठिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।